संख्या-45/2026/367/59-2-2026/001-1991904

प्रेषक,

कपिल देव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 01 सितम्बर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत नई मांग के माध्यम से स्वीकृत जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, शामली के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-1292/खा0ग्रा0बो0/सा0 प्रशा0/जनपद शामली पत्रावली/2026-27, दिनांक 28.07.2026 द्वारा प्रेषित कार्ययोजना अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन **"जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, शामली का कार्यालय भवन"** निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 119.90 लाख (रूपये एक करोड़ उन्नीस लाख नब्बे हजार मात्र) के सापेक्ष (नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको द्वारा उपलब्ध कराये आगणन के अनुसार) धनराशि रू0 119.16 लाख (रूपये एक करोड़ उन्नीस लाख सोलह हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्माण संबंधी कार्य शासन के पत्र संख्या-276/59-2-2026/ई-1991904, दिनांक 09.07.2026 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-1292/खा0ग्रा0बो0/सा0 प्रशा0/जनपद शामली पत्रावली/2026-27, दिनांक 28.07.2026 के क्रम में नियमानुसार सम्बन्धित शासनादेशों के अधीन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,19,16,000 (रू0 एक करोड़ उन्नीस लाख सोलह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-**005 **लेखा शीर्षक** 2851001053200 जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, शामली का कार्यालय भवन **मानक मद**-35-पूॅजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-28-X-2026-27, दिनांक 24.08.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कपिल देव
अनु सचिव।

संख्या-45/2026/367(1)/59-2-2026/001-1991904 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कपिल देव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।